भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5508
03 अप्रैल, 2025 को उत्तर देने के लिए

उद्यमियों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना

5508. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:
श्रीमती भारती पारधी:
श्री कंवर सिंह तंवर:
क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश भर में परियोजनाओं की मंजूरी में तेजी लाने की प्रतिबद्धता सहित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) एवं (ख): उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं यथा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) योजना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित - प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से देश भर में संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। ये योजनाएँ क्षेत्र या राज्य विशेष नहीं हैं, बल्कि माँग आधारित हैं।

पीएमकेएसवाई के तहत, 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए 5520 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को क्रेडिट लिंक्ड वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान की जाती है। अब तक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 28 फरवरी, 2025 तक देश भर में पीएमकेएसवाई की संबंधित घटक योजनाओं के तहत 41 मेगा फूड पार्क, 394 शीत श्रृंखला परियोजनाएं, 75 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर परियोजनाएं, 526 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, 61 बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सृजन और 44 ऑपरेशन ग्रीन्स परियोजनाओं सहित 1608 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जाती है । यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2025-26 तक की अवधि के लिए प्रचालन में है । 28 फरवरी, 2025 तक देश में पीएमएफएमई के तहत सहायता के लिए कुल 1,27,758 सूक्ष्म खाद्य

भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5508
03 अप्रैल, 2025 को उत्तर देने के लिए

उद्यमियों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना

5508. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:
श्रीमती भारती पारधी:
श्री कंवर सिंह तंवर:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश भर में परियोजनाओं की मंजूरी में तेजी लाने की प्रतिबद्धता सहित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयं की स्थापना के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) एवं (ख): उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए , खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं यथा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) योजना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित - प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से देश भर में संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। ये योजनाएँ क्षेत्र या राज्य विशेष नहीं हैं, बल्कि माँग आधारित हैं।

पीएमकेएसवाई के तहत , 15 वें वित्त आयोग चक्र के लिए 5520 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों कोक्रेडिट लिंक्ड वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान की जाती है। अब तक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 28 फरवरी, 2025 तक देश भर में पीएमकेएसवाई की संबंधित घटक योजनाओं के तहत 41 मेगा फूड पार्क, 394 शीत श्रृंखला परियोजनाएं, 75 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर परियोजनाएं, 526 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, 61 बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सृजन और 44 ऑपरेशन ग्रीन्स परियोजनाओं सहित 1608 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जाती है । यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2025-26 तक की अवधि के लिए प्रचालन में है । 28 फरवरी, 2025 तक देश में पीएमएफएमई के तहत सहायता के लिए कुल1,27,758 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को मंजूरी दी गई है।

पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य अन्य बातों के अलावा वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के सृजन में सहायता करना तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करना है। यह योजना 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2021-22 से 2026-27 की अवधि के लिए प्रचालन है। अब तक देश में 28 फरवरी, 2025 तक पीएलआईएसएफपीआई योजना की विभिन्न श्रेणियों के तहत सहायता के लिए 33 खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के171 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

पीएमकेएसवाई और पीएलआईएसएफपीआई योजनाओं के तहत पारदर्शिता लानेऔर परियोजना प्रस्तावों में तेजी लाने के लिए, धन की उपलब्धता के आधार पर समय -समय पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी करके पूरे देश से आवेदन/प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। ईओआई के तहत आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव मौजूदा लागू योजना दिशनिर्देशों में उल्लिखित पात्रता मानदंडों के आधार पर परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है । परियोजनाओं का चयन तीन स्तरी मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। मूल्यांकन के बाद , योग्यता के आधार पर, पात्र प्रस्तावों को मंजूरी जारी की जाती है । आवेदनों को पारदर्शी और तेजी से जमा करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने दोनों योजनाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए हैं। इसी तरह , पीएमएफएमई के तहत भी, आवेदन जमा करने से लेकर वित्तीय सहायता जारी होने तक एक पोर्टल पर ऑनलाइन प्रक्रिया की जाती है।

*****

प्रसंस्करण उद्यमों को मंजूरी दी गई है।

पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य अन्य बातों के अलावा वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के सृजन में सहायता करना तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करना है। यह योजना 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2021-22 से 2026-27 की अवधि के लिए प्रचालन है। अब तक देश में 28 फरवरी, 2025 तक पीएलआईएसएफपीआई योजना की विभिन्न श्रेणियों के तहत सहायता के लिए 133 खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के 171 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

पीएमकेएसवाई और पीएलआईएसएफपीआई योजनाओं के तहत पारदर्शिता लाने और परियोजना प्रस्तावों में तेजी लाने के लिए, धन की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी करके पूरे देश से आवेदन/प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। ईओआई के तहत आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव मौजूदा लागू योजना दिशा-निर्देशों में उल्लिखित पात्रता मानदंडों के आधार पर परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है । परियोजनाओं का चयन तीन स्तरीय मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। मूल्यांकन के बाद, योग्यता के आधार पर, पात्र प्रस्तावों को मंजूरी जारी की जाती है । आवेदनों को पारदर्शी और तेजी से जमा करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने दोनों योजनाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए हैं। इसी तरह, पीएमएफएमई के तहत भी, आवेदन जमा करने से लेकर वित्तीय सहायता जारी होने तक एक पोर्टल पर ऑनलाइन प्रक्रिया की जाती है।

*****